फैक्स/सर्वोच्च प्राथमिकता

डीजी परिपत्र संख्या - 82 /2015

जगमोहन यादव

आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,

उत्तर प्रदेश

1 तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांक: लखनऊ: दिसम्बर 26, 2015

विषय:- **मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट पिटीशन संख्या-10792/2015 श्रीमती रीना कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (जनपद रामपुर) तथा रिट पिटीशन संख्या-10756/2015 श्रीमती शाहिदा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 08 अन्य (जनपद सहारनपुर) में पारित आदेश दिनांकित 06.07.2015 में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रदेश के समस्त थानों पर अनिवार्य रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने के संबंध में कार्यकारी आदेश।**

प्रिय महोदय/महोदया,

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट पिटीशन संख्या-10792/2015 **श्रीमती रीना कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य** (जनपद रामपुर) तथा रिट पिटीशन संख्या-10756/2015 **श्रीमती शाहिदा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 08 अन्य** (जनपद सहारनपुर) में पारित आदेश दिनांकित 06.07.2015 में यह अपेक्षा की गयी है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **रूपराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य** एवं **ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य** में दिये गये निर्देशानुसार प्रदेश के थानों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने की कार्यवाही की जाय।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-68/2008 ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिये गये निर्णय के अनुपालन हेतु इस मुख्यालय द्वारा पत्र संख्या-डीजी-दस-वि0प्र0-रिट-517/2013, दिनांकित 30.12.2013 पूर्व में निर्गत किया जा चुका है।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अब पुनः दिये गये निर्देश के अनुपालन में निम्न कार्यकारी आदेश जारी किये जाते हैं:-

<u>थाना स्तर पर:-</u>

- थाना स्तर पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रूपराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने के संबंध में पूर्ण उत्तरदायित्व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष एवं जनपदीय पुलिस प्रभारी का होगा।
- इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो, समस्त थानों पर डे/नाइट ऑफिसर की नियुक्ति की जाय, जोकि थानाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संज्ञेय अपराध होने की सूचना पर अनिवार्य रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का कार्य सुनिश्चित करेंगे।
- प्रत्येक थाने के प्रवेश द्वार पर एवं थाना कार्यालय में (जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने की कार्यवाही होती है) सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये जायें। सी0सी0टी0वी0 कैमरे के कार्यरत न होने की सूचना तत्काल जनपदीय पुलिस अधीक्षक को दी जायेगी। जनपदीय पुलिस अधीक्षक 24 घंटे में सी0सी0टी0वी0 कैमरे को ठीक कराना सुनिश्चित करेंगे।
- सी0सी0टी0वी0 कैमरे की फुटेज एक माह से पूर्व जनपदीय पुलिस अधीक्षक की अनुमति के बिना नष्ट/विलोपित नहीं की जायेगी।

<u>पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्तर पर:-</u>

- पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होने वाली प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न किये जाने की शिकायतों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकरण कराने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध नोडल अधिकारी होंगे। जिन जनपदों में अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक, अपराध के पद नहीं है, उन

जनपदों में जनपदीय पुलिस अधीक्षक अपने स्तर से किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश देने हेतु **नोडल अधिकारी** नियुक्त करेंगे।

- ये नोडल अधिकारी ऐसे समस्त प्रार्थना पत्र, जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने की प्रार्थना की गयी है, का परीक्षण मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "**ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य**" में दिये गये निर्देशों के अनुसार करेंगे एवं परीक्षण के उपरान्त **प्रार्थना पत्र पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने का निर्देश देंगे।**
- नोडल अधिकारी ऐसे समस्त प्रकरणों का, जिनमें उनके स्तर से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है, का विवरण एक रजिस्टर में रखेंगे एवं इसकी रिपोर्ट प्रतिदिन जनपदीय पुलिस अधीक्षक को देंगे एवं अनुश्रवण करेंगे कि उनके आदेशों का अनुपालन हुआ अथवा नहीं। जिन मामलों में अनुपालन नहीं हुआ है, उसकी रिपोर्ट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को प्रेषित करेंगे।

सामान्य:-

- ऐसे समस्त प्रकरणों में, जिनमें यह संज्ञान में आता है कि पीड़ित/पीड़िता की प्रथम सूचना रिपोर्ट जानबूझकर थाने स्तर पर नहीं दर्ज की गयी है, जनपदीय पुलिस अधीक्षक उसकी प्रारम्भिक जांच कराकर डे/नाइट ऑफिसर/थानाध्यक्ष को दण्डित करने की कार्यवाही करेंगे।
- ऐसे सभी प्रार्थना पत्र, जो व्यक्तिगत रूप से जनपदीय पुलिस प्रभारी से सम्पर्क कर प्रदान किये जाते हैं एवं जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने की प्रार्थना की गयी है, यदि उसमें संज्ञेय अपराध होना पाया जाता है तो जनपदीय पुलिस अधीक्षक उन सभी में **"जांचकर आवश्यक कार्यवाही करें"** आदेशित करने की बजाय स्पष्ट रूप से **"प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करें"** के आदेश जारी करेंगे।

- जिन थाना क्षेत्रों में तुलनात्मक दृष्टि से धारा 156(3) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत अधिक प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की जा रही है, वहां जनपदीय पुलिस अधीक्षक यह परीक्षण करायेंगे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने में थाने स्तर से टाल-मटोल तो नहीं किया जा रहा है।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करने की शिकायत के संबंध में जो भी प्रारम्भिक जांच/जांच की जाती है, इसमें जांच से लेकर सभी दण्डात्मक विभागीय कार्यवाही निर्धारित समय में अवश्य पूर्ण कर ली जाय। जिन मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट न दर्ज करने पर प्रारम्भिक जांच के आदेश दिये गये हैं, उसकी सूचना संलग्न प्रारूप-'क' में प्रतिमाह जनपदीय पुलिस अधीक्षक द्वारा परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं जोनल पुलिस महानिरीक्षक को प्रेषित की जायेगी।
- ऐसे समस्त प्रकरणों में, जिनमें धारा 182 भा0द0वि0 की रिपोर्ट विवेचक द्वारा मा0 न्यायालय को दी गयी है, का पर्यवेक्षण संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं ऐसे समस्त अभियोगों का विवरण भी क्षेत्राधिकारी की पेशी में केसों की मॉनिटरिंग हेतु रखा जायेगा। मासिक अपराध गोष्ठी में भी जनपदीय पुलिस अधीक्षक द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जायेगी एवं जनपदीय न्यायाधीश के साथ होने वाली मॉनिटरिंग सेल की गोष्ठी में इस विषय पर चर्चा की जा सकती है, ताकि मा0 न्यायालय द्वारा इन रिपोर्टों पर अग्रिम कार्यवाही शीघ्र प्रारम्भ हो जाय। जिन अभियोगों में जुर्म खारिजा रिपोर्ट एवं धारा 182 भा0द0वि0 की रिपोर्ट दी गयी है, उसकी सूचना संलग्न प्रारूप-'ख' में जनपदीय पुलिस अधीक्षक द्वारा परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं जोनल पुलिस महानिरीक्षक को प्रेषित की जायेगी।

जिन जनपदों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करने के संबंध में बहुत अधिक शिकायतें प्राप्त होंगी, उनसे संबंधित पुलिस अधिकारियों के ए0सी0आर0 में प्रतिकूल टिप्पणी करने पर भी विचार किया जायेगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय। उक्त प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय से संबंधित है। निर्देशों के अनुपालन न होने से यदि मा0 न्यायालय की अवहेलना (Contempt of Court) का विषय बनता है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय

26/1/15

(जगमोहन यादव)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद/रेलवे अनुभाग, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
2. पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
4. पुलिस महानिरीक्षक, रेलवेज, उ0प्र0
5. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, रेलवेज, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त का अनुपालन कराते हुए आकस्मिक रूप से टेस्ट प्रथम सूचना रिपोर्ट (Test FIR) दर्ज कराने की कार्यवाही भी करें।
6. मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ में नियुक्त सभी राजपत्रित अधिकारी।

मूल पर नहीं।

निम्न को सूचनार्थ-

- समस्त पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक/अपर पुलिस अधीक्षक, विभिन्न इकाईयां।

प्रारूप-'क'

थानों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कृत कार्यवाही

माह - .....

परिक्षेत्र	जनपद	कितने मामलों में प्रारम्भिक जांच/जांच आदेशित हुई	कितने दोषी पाये गये	कितने दण्डित हुये	कितने में धारा 166ए भा0द0वि0 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी
1	2	3	4	5	6

प्रारूप-'ख'

थानों पर अंकित प्रथम सूचना रिपोर्ट में धारा 182 भा0द0वि0 के अन्तर्गत कृत कार्यवाही

माह - .....

परिक्षेत्र	जनपद	कितने अभियोगों में धारा 182 भा0द0वि0 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में रिपोर्ट प्रेषित की गयी की कुल संख्या	मा0 न्यायालय द्वारा कितने प्रकरणों में धारा 182 भा0द0वि0 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये की कुल संख्या
1	2	3	4